इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 504] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 सितम्बर 2018—भाद्र 29, शक 1940

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2018

क्र. एफ-19-15-2018-बारह-1.—खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 67 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लेते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, द्वारा मोहर, जिला पन्ना (टोपोशीट क्रमांक 54 पी-14 एवं 63डी-2, अमानगंज संरक्षित वन) के 10.98 वर्ग किमी क्षेत्र को, मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड के पक्ष में हीरा खनिज के पूर्वेक्षण कार्य हेतु अधिसूचित करती है. क्षेत्र के ब्यौरे एवं शर्तें नीचे दी गई हैं:—

सारणी

क्रमांक (1)	बिन्दु (2)	अक्षांश (3)	देशांश (4)
1	ए	79°58'05.49"	24°32'02.42"
2	बी	80°00'22.42"	24°32'03.12"
3	सी	80°00'22.78"	24°30'28.35"
4	डी	79°58'07.35"	24°30'31.65"

1. एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म. प्र. को अधिसूचित क्षेत्र में पूर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने की सूचना देगा.

2. पूर्वेक्षण कार्य की कालावधि 2 वर्ष के लिए होगी. यह आगामी 03 वर्ष के लिए विस्तारित की जा सकेगी, परंतु किसी भी दशा में कुल कालावधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी.

3. एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, खान (खनिज अन्तर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 के उपबंधों के अनुसार पूर्वेक्षण संक्रियाएँ संपादित करेगा तथा विहित कालावधि के भीतर पूर्वेक्षण रिपोर्ट के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा.

4. पूर्वेक्षण कार्य करने के पश्चात अधिसूचित क्षेत्र में, यदी आवेदित खनिज या नवीन खनिजों की विदमानता प्रमाणित होती है, तो मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. अनुबंध दिनांक 27-10-2016 के अधीन वर्णित शर्तों का पालन करेगा.

5. यदि पूर्वेक्षण कार्य अधिसूचना में वर्णित कालावधि के अवसान होने के पूर्व पूर्ण हो जाते हैं तो राज्य सरकार इस अधिसूचना को विखण्डित कर देगी.

6. यह अधिसूचना उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगी, जहां उपरोक्त क्षेत्र के किसी भाग में, कोई खनि रियायत स्वीकृत है.

7. उपरोक्त अधिसूचित क्षेत्र का नक्शा संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, तथा संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) में उपलब्ध है.

No. F-19-15-2018-XII-1.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 67 of the Minerals (other than Atomic and Hydro-Carbons Energy Minerals) Concession Rule, 2016 the State Government, hereby, notifies the area of 10.98 sq. km. of Mohar Block, Distt. Panna (Toposheet No. 54P/14 & 63D/2, Amanganj Protected Forest) in favor of M/s N.M.D.C. Limited for prospecting work of diamond. Details of area and conditions are given below:—

TABLE

S. No. (1)	Points (2)	Longitude (3)	Latitude (4)
1	A	79°58'04.49"	24°32'02.42"
2	B	80°00'22.42"	24°32'.03.12"
3	C	80°00'22.78"	24°30'.28.35"
4	D	79°58'07.35"	24°30'.31.65"

1. NMDC Ltd. shall intimate to Director Geology & Mining, Madhya Pradesh for commencement of prospecting work in the notified area.

2. The period of prospecting work shall be for 2 years. This may be further extended for 3 years but in no case the total period shall be exceed 5 years.

3. NMDC Ltd. shall undertake prospecting operations in accordance with the provsions of Minerals (Evidence of Minerals Contents) Rule, 2015 and shall submit detailed prospecting report within prescribed time period.

4. In notified area after the prospecting work, if the existence of mineral applied for new minerals is discovered, then the M/s NMDC Limited shall comply with the conditions mentioned under tripartite Memo of Understanding Agreement dated 27-10-2016.

5. The State Government shall revoke this notification, if the prospecting operations are completed before the expiry of the period stated in the notification.

6. This notification shall not be applicable in those areas where any mineral concession is granted in any part of the above area.

7. The maps of above notified area are available in the Directorate of Geology & Mining and concerned District Collector office (Mining Section).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र सिंह परमार, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.